# 17-08-2022

## मौलिक कर्तव्य

### समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संविधान में मौलिक कर्तव्य केवल "पांडित्य या तकनीकी" उद्देश्य की पूर्ति के लिये नहीं हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक परिवर्तन की कुंजी के रूप में शामिल किया गया है।

### त्वरित मुद्दा?

- मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान (तत्कालीन सोवियत संघ) से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग IV-A में शामिल किया गया था।
- मूल रूप से मौलिक कर्त्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। सभी ग्यारह कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51-ए (भाग- IV-ए) में सूचीबद्ध हैं।
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह, मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर-न्यायिक हैं।

### अन्य प्रमुख तथ्य?

**मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का पक्ष:**

- सर्वोच्च न्यायालय के रंगनाथ मिश्रा वाद 2003 में कहा गया कि मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी प्रतिबंधों से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा भी लागू किया जाना चाहिये।
- एम्स छात्र संघ बनाम एम्स 2001 में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के समान ही महत्त्वपूर्ण हैं।
- हालाँकि मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों की तरह लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें भाग IV ए में कर्तव्यों के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
- मूल कर्तव्यों की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से पहले से ही संविधान के भाग III में कुछ निर्बंधनों के रूप थी।

### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- **मौलिक कर्त्तव्यों-**

1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिये राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखें और उनका पालन करें।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें।
4. देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, की रक्षा और संवर्द्धन करें तथा प्राणीमात्र के लिये दया भाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।

10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया जा सके।
11. छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया)।

- **महत्त्व:-**
  - **लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर अनुस्मारक:-**मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में यह बताना है , कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किये हैं, लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है।
  - **असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी:-** मौलिक कर्तव्य ऐसे लोगों के लिये असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं जो राष्ट्र का अपमान करते हैं; जैसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना या सार्वजनिक शांति भंग करना आदि।
  - **अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना:-** ये राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।ये केवल दर्शकों के बजाय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय लक्ष्यों को साकार करने में मदद करते हैं।
  - **कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में सहायता करना:-** यह कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय की मदद करता है।उदाहरण के लिये, विधायिका द्वारा पारित कोई भी कानून, जब संवैधानिकता जाँच के लिये न्यायालय में जाता है और उसमें मौलिक कर्तव्य के घटक निहित हैं, तो ऐसे कानून को उचित माना जाएगा।

## प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाला संभावित प्रश्न

**प्रश्न: "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडत की रक्षा और उसे अक्षुण रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है:**

(a) संविधान की प्रस्तावना
(b) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
(c) मौलिक अधिकार
(d) मौलिक कर्तव्य

**उत्तर: (d) मौलिक कर्तव्य**

**प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के बारे में सही है/हैं?**

1. इन कर्तव्यों को लागू करने के लिये विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है।
2. वे कानूनी कर्तव्यों से संबंधित हैं।

**नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:**

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तर: (d) न तो 1 और न ही 2**

# रुपया सहकारी बैंक

## समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुणे के रुपया सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस को-ऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और साथ ही इसने नियमों का भी उल्लंघन किया है। ये बैंक अगले महीने 22 सितंबर से अस्तित्व में नहीं रहेगा।

## त्वरित मुद्दा?

- सहकारी बैंकों का गठन और परिचालन सहकारिता के आधार पर किया जाता है। सहकारी यानी साथ मिलकर काम करना। ऐसे बैंकों का मकसद शहरी और गैर-शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को कर्ज़ की सुविधा प्रदान करना है।
- सहकारी बैंक कुछ मामलों में वाणिज्यिक बैंकों से अलग होते हैं मसलन सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य अधिक-से-अधिक लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं और उत्पाद प्रदान करना होता है।

### अन्य प्रमुख तथ्य?

**अगर बैंक बंद हो गया तो जमाकर्ताओं के पैसे का क्या होगा?**

- इस समस्या से निपटने के लिए संसद ने एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) एक्ट, 1961 नामक कानून बनाया है। इस कानून के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व वाली एक सब्सिडियरी संगठन बनाया गया जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोर्पोरेशन। यह संगठन बैंक जमा पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है। इसके नियम के मुताबिक, बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने पर 5 लाख रुपये तक की धनराशि का भुगतान जमाकर्ता को किया जाता है। अगर आपने उसमें 5 लाख से अधिक पैसा जमा किया होता है तो वह पैसा बैंक वापस नहीं करता है। मतलब 5 लाख रुपए के ऊपर जमा धन डूब जाता है।

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- को-ऑपरेटिव बैंकों की स्थापना "राज्य सहकारी समिति अधिनियम" के मुताबिक की जाती है। इनका रजिस्ट्रेशन "रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटी" के पास किया जाता है। इनका प्रशासन राज्य सरकार देखती है, जबकि इनको रेग्युलेट करने यानी विनियमित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है।
- 21 मार्च को आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसके अलावा, इस साल सरजेरोदादा नायक शिराला सहकारी बैंक, इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक और मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी बंद किया जा चुका है। बंद होने वाले यह सारे बैंक कोऑपरेटिव बैंक हैं।
- इसका मतलब है कि सहकारी बैंक गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इन मौजूदा चुनौतियों की बात करें तो सहकारी बैंकों का गठन ही सहकारिता के आधार पर किया जाता है, लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के करीब 55 फ़ीसदी लोग अभी तक इस सहकारिता व्यवस्था से नहीं जुड़ पाए हैं।
- इन बैंकों के सहकारिता का मूल उद्देश्य ही पूरा होता नहीं दिख रहा है। इसके अलावा, ये बैंक में सभी स्तरों पर ओवरड्यूज यानी अपनी क्षमता से ज्यादा देनदारी हो जाने की दिक्कत से जूझ रहे हैं। बीच-बीच में सहकारी बैंकों से जुड़े

तमाम भ्रष्टाचार के मामलों के उजागर होने के बाद इन बैंकों की विश्वसनीयता घटती जा रही है, उदाहरण के तौर पर साल 2019 का पीएमसी घोटाला।

- ज्यादातर सहकारी बैंक पेशेवर प्रबंधन यानी प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी का भी सामना कर रहे हैं अर्थात इन बैंकों का प्रबंधन कार्य ऐसे ही कैजुअल वे में चल रहा है।
- सहकारी बैंकों की संरचना इस तरह की है कि इन पर द्वैध नियंत्रण का आभास होता है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि इनका रेगुलेशन और नियंत्रण तो आरबीआई द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका प्रशासन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जिनसे तमाम तरह की दिक्कतें पैदा होती है।
- मौजूदा मामले में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में कहा कि उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट के 12 सितंबर 2017 के आदेश का पालन करते हुए रुपया को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है।
- RBI के मुताबिक, बैंक की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रह गई थी कि उसे और चलाया जा सके। ऐसे में खाताधारकों की सुरक्षा को देखते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

## प्रारंभिक परीक्षा मे पूछे जाने वाला संभावित प्रश्न

**प्रश्न- भारत में फिनटेक क्षेत्र के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007
2. 2017 के पीयर-टू-पीयर लेंडिंग दिशानिर्देश
3. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम विनियम
4. आरबीआई अधिनियम 1934
5. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949

**उपरोक्त में से कौन इस क्षेत्र को नियंत्रित करता है?**

(a) केवल 1, 4 और 5 (b) केवल 4 और 5
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) ऊपर के सभी

**उत्तर: (d) ऊपर के सभी**